

तेलंगाना ने कृष्णा नदी जल वविाद को टरबियूनल को सौंपने की मांग की

चर्चा में क्यों?

तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नतिनि गडकरी से अनुरोध किया है कि कृष्णा नदी के जल बँटवारे को लेकर वविाद को अधिकरण को सौंप दिया जाए ताकि राज्ज के लोगों को न्याय मलि सके ।

परमुख बदि:

- तेलंगाना द्वारा अंतरराज्तीय नदी जल वविाद (ISRWD) अधनियिम, 1956 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार अनुरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति बृजेश कुमार टरबियूनल की अवधि बढ़ा दी थी और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधनियिम, 2014 के अनुसार मामले को संदर्भति किया गया था ।
- चूँकि अधनियिम की धारा 89 का दायरा काफी सीमति था जो तेलंगाना के उच्चति मांगों के साथ न्याय करने में नहीं सक्षम होता । इसलिये यह अनविर्य हो गया था कि मामले को अंतरराज्तीय नदी जल वविाद (ISRWD) अधनियिम के तहत टरबियूनल के पास भेजा जाए ।
- एक अलग अनुरोध में मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीता राम लफिट सचिाई परयोजना को एक नई परयोजना के बजाय गोदावरी नदी पर चल रही एक पुरानी परयोजना के रूप में माना जाए ताकि परयोजना को आवश्यक मंजूरी मलिने के बाद समय पर पूरा किया जा सके ।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त आंध्र प्रदेश की पूर्व सरकार ने परयोजना को ₹ 1,681 करोड़ की लागत वाली राजीव दुमुगुडेम लफिट सचिाई योजना और ₹ 1,824 करोड़ लागत की इंदरिसागर रूद्रमकोटा लफिट सचिाई योजना के रूप में मंजूरी दे दी ।
- तदनुसार इन दो परयोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया था और राज्ज के वभिजन के समय क्रमशः ₹ 871.8 करोड़ और ₹ 899.36 करोड़ खर्च किए गए थे ।
- हालाँकि परयोजना को फरि से डज़ाइन किया जाना था क्योंकि इंदरिसागर परयोजना का मुख्य कार्य शेष आंध्र प्रदेश में चला गया था और इसका सीमांकन कार्य वन्यजीव अभयारण्य के कोर क्षेत्र से होकर गुजर रहा था ।
- गौरतलब है कि अंतरराज्तीय मुद्दों से बचने के लिये सरकार ने परयोजना के मुख्य कार्य को तेलंगाना के अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरति कर दिया ।